Rashtriya Sahara Edition Delhi
20.4.2017 Page 9
Height 11.13cm Width 9.84 cm

आधार संबंधी जानकारी मांगने वाली आठ फर्जी वेबसाइटों पर केस

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार संबंधित सेवाएं देने और अवैध रूप से लोगों से आधार संख्या और नामांकन विवरण लेने के आरोपों में आठ अनधिकृत वेबसाइटों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं।

यह पहली मिसाल है जब प्राधिकरण की ओर से आधार संबंधित सेवाओं को देने की कोशिश करने वाली धोखाधड़ी और अवैध वेबसाइटों पर प्राथमिकयां दर्ज कराई जा रही हैं। इन साइटों में आधार अपडेट डॉट कॉम, आधार इंडिया डॉट कॉम, पीवीसी आधार डॉट कॉम, आधार प्रिंटर्स डॉट कॉम, गेट आधार डॉट कॉम, डाउनलोड आधार कार्ड डॉट इन, आधार कॉपी डॉट इन और डुप्लिकेट आधार कार्ड डॉट कॉम शामिल है। ये वेबसाइटें लोगों से अवैध तरीके से आधार संख्या और नामांकन विवरण ले रही थीं और यूआईडीएआई से अधिकृत संस्थाएं बनकर आधार संबंधी सेवाएं देने का वादा कर रही थीं।

यूआईडीएआई ऐसी साइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जारी रखेगी

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि हमने पाया कि अनधिकृत कुछ वेबसाइटों के बंद करने के आदेश के बाद नई वेबसाइटें बन गईं। इस बार हमने ऐसी वेबसाइटों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। यूआईडीएआई के मुताबिक अनधिकृत सेवाएं देने वाली इन वेबसाइटों और कंपनियों का आचरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आधार अधिनियम 2016 की धारा 38 और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (अमानत में खयानत) और 420 (धोखाधड़ी) के बराबर है। ■ भाषा